UPPB010008472017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 89/2017

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. सियाराम पुत्र रामदास**(मृत्यु)**,
2. छत्रपाल पुत्र मूलचंद्र,
3. छविनाथ पुत्र जानकी प्रसाद,
4. मोहन लाल पुत्र गंगाराम,

समस्त निवासीगण ग्राम प्यास थाना जहानाबाद, पीलीभीत।

अपराध संख्या– निल,
धारा– 323/34 व 506 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना– जहानाबाद,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल के विरूद्ध पुलिस थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 323 व 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया, जिसके उपरांत यह पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांकित 04.02.2017 के अनुपालन में न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/ए.सी. जे.एम. से दिनांक 08.03.2017 को अंतरण होकर इस न्यायालय को विचारणार्थ प्राप्त हुआ, उक्त पत्रावली विशेष वाद के रूप में दर्ज की गयी।

(2) इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल का अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप विरचित किये गये। दौरान विचारण इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त सियाराम के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारंट का तामीला आख्या इस आशय का प्राप्त कि परिवारीजनों ने बताया कि अभियुक्त सियाराम की मृत्यु हो चुकी है। उक्त गैर जमानतीय वारंट की तामीला आख्या के साथ प्रधान, ग्राम पंचायत प्यास, विकासखण्ड ललौरीखेड़ा, पीलीभीत का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है, जिसमें अभियुक्त की मृत्यु दो वर्ष पूर्व होने का कथन किया गया है, तत्पश्चात अभियुक्त सियाराम की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध इस मामले की कार्यवाही दिनांक 06.02.2026 से उपशमित की गयी। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.16 15:57:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल का अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है।

(3) वादी मुकदमा धर्मवीर के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)द.प्र.स. के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वह जाति का धोबी है तथा अभियुक्तगण जाति के किसान है। उसके गांव में धोबी जाति के 5–6 परिवार ही रहते है तथा अभियुक्तगण उसको बिना वजह तंग तराश करते है और अपने खेतों में जबरदस्ती काम कराते है। दिनांक 26.08.1996 को करीब ढाई बजे दिन वह अपने खेत से घर वापस आ रहा था कि गांव के दक्षिण में स्थित बाबाजी की मढ़ी पर जब वह आया, तो उपरोक्त अभियुक्त वहां पर बैठे थे तथा अभियुक्तगण सियाराम व छविनाथ अपने हाथों में बांस के डंडे लिये थे। उसको देखकर उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण उसके पास आ गये तथा सियाराम व छविनाथ उसको जातिसूचक गाली देकर कहने लगे कि मादरचोद भोसंडी के धोबी की औलाद हमारे धान के खेत में निराई कब करेगा, फसल खराब हो रही है तो उसने कहा कि गालियां क्यो देते हो, मैं तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर करूंगा, इसी बात पर उपरोक्त पांचो अभियुक्तगण उसको लातघूसों व बांस के डंडों से मारने लगे और उसको मारते पीटते बाबाजी की मढ़ी से देवस्थान तक लाए वह बराबर चीखता चिल्लाता रहा। उसके शोर पर गांव के ही श्याम लाल व अनोखे लाल देवस्थान पर आ गये, जिन्होंने उसको अभियुक्तगण से बचाया। जाते समय अभियुक्तगण उसको धमकी दे गये कि मादरचोद भोसड़ी के धोबी की औलाद अगर तूने हमारे खेतों में धान की निराई नहीं की, तो तुझे जान से मार डालेंगे और अगर रिपोर्ट लिखाई, तो गांव में नहीं रहने देंगे। मारपीट के दौरान अभियुक्तगण ने उसकी कमीज की जेब में पड़े 150/– रूपये की फाड़ डाली और उसकी कमीज की जेब में पड़े 50 रूपया भी निकाल लिए। वह अनोखे लाल पुत्र हेमराज, निवासी ग्राम प्यास थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत के साथ रिपोर्ट लिखाने थाना जहानाबाद गया, लेकिन उपरोक्त अभियुक्तगण थाने के बाहर चाय के होटल पर बैठे थे, जिनके डर की वजह से वह थाने रिपोर्ट लिखाने नहीं गया तथा उसी दिन रात पौने आठ बजे उसने अपनी चोटों का मुआइना जिला अस्पताल पीलीभीत में कराया। वह अभियुक्तगण के डर के कारण घर पर नहीं रह पा रहा है।

(4) वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 07.09.1996 को थानाध्यक्ष जहानाबाद को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में थाना जहानाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपराध संख्या निल, धारा 392 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में अभियुक्तगण सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षीगण के बयानात लिये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया। विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकतापूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323 व 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया। पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांकित 04.02.2017 के अनुपालन में दिनांक 08.03.2017 को यह विशेष सत्र परीक्षणीय वाद द्वारा अंतरण इस न्यायालय को विचारणार्थ प्राप्त हुआ।

(5) अभियुक्तगण सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2020 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करके विचारण की मांग की।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 धर्मवीर व पी0डब्लू0 2 अनोखे लाल को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(7) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	धर्मवीर	प्रदर्श क–1	प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.स.
2	पी.डब्लू. 2	अनोखे लाल	–	–

(8) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी.डी. 03, इंजरी प्रपत्र व घटनास्थल नक्शानजरी की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से किसी औपचारिक साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

(9) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया है कि वे निर्दोष है, उनको झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(10) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गये समस्त साक्षीगण पी.डब्लू. 1 व 2 द्वारा अपनी संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण वे पक्षद्रोही घोषित हो गए है, परन्तु मात्र इस कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो अभियोजन कथानक को संबल प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

(11) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण अभियोजन द्वारा इन साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(12) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(13) अभियुक्तगण पर धारा 323 सपठित धारा 34 व 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय से वादी मुकदमा धर्मवीर को डंडों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, जान से मारने की धमकी देने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर उसकी जाति को संबोधित करते हुए गालियां देकर अपमानित व अभित्रस्त किया गया है।

(14) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 1 धर्मवीर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना को बहुत वर्ष हो गये। लगभग 30 वर्ष हो गये होगे। मेरे गांव के सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ, मोहन लाल से कहासुनी हो गयी थी, जिसमें काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी, जिसमें किसी से धक्का लग जाने के कारण गिर गया था, जिसे मुझे चोटे आ गयी थी। सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ, मोहन लाल ने मुझसे मारपीट नहीं किया था और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दिये थे। मैंने लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा लिखा दिया था।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि ''यह कहना सही है कि मैंने न्यायालय के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखाया था। गवाह ने प्रार्थना पत्र 156(3)द.प्र.सं. कागज संख्या ख11/2 लगायत ख11/3 को देखकर कहा यही प्रार्थना पत्र मैंने न्यायालय में दिया था, जिस पर मैंने अपना निशानी अंगूठा लगाया था, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह कहना सही है कि मेरी डाक्टरी जिला अस्पताल में हुई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त द्वारा मेरे साथ गाली गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट किया गया है और जान से मारने की धमकी दी गयी है। गवाह को धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि पुलिस ने मेरा यह बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण सही बात न बता रहा हो।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''मुल्जिमान सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल से मेरी कहासुनी हो गयी थी। मौके पर काफी भीड़ इकट्टा हो गयी थी। भीड़ में किसी ने मुझे धक्का दे दिया था, जिससे मैं गिर गया था और मेरे चोटे आ गयी थी। मुल्जिमान ने मुझे मारापीटा नहीं था और जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने मुझे जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित नहीं किया था। मैं लोगों के कहने पर मुकदमा अदालत के माध्यम से लिखा है, मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे।'' इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर व विपरीत कथन किये गये है तथा आपने साक्ष्य में स्वयं को आयी चोटे भीड़ में धक्का लग जाने से गिरने के कारण आने बताया है। इस साक्षी द्वारा धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किये जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार वादी मुकदमा के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(15) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 अनोखे लाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना को कई वर्ष हो गये है। मुझे घ ाटना का दिन व समय याद नहीं है। मैं शोर सुनकर मौके पर पहुचा था। भीड़ होने के कारण मैं देख और सुन नहीं पाया था कि धर्मवीर को किसने मारापीटा तथा गालियां दी थी और धमकी किसने दी थी। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिये थे।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि ''बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि धर्मवीर मेरे गांव का है। मैं इसे जानता पहचानता हूॅ अभियुक्तगण भी मेरे गांव के है। मैं इन्हें जानता पहचानता हूॅ। यह कहना गलत है कि

मैं जानने पहचानने के कारण आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। यह भी कहना गलत है कि भय और दबाव में झूठी गवाही दे रहा हो। मैं शोर सुनकर मौके पर पहुंचा था। मैंने कोई घटना देखी व सुनी नहीं थी।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''मैं मुल्जिम सियाराम, छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल को जानता हूॅ, जिसमें सियाराम की मृत्यु हो चुकी है, जब मैं पहुंचा, तो वहां काफी भीड़ इकट्ठी थी। भीड़ में किसी ने धर्मवीर को धक्का दे दिया था, जिससे उसके चोटे आ गयी थी। गिरने से चोटे आ गयी थी। मुल्जिमान ने धर्मवीर को मारापीटा नहीं था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मुल्जिमानों ने जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित भी नहीं किया था। मैं धक्का देने वाले को पहचान व देख नहीं पाया था। लोगों के कहने पर धर्मवीर ने मुकदमा लिखा दिया था। सी.ओ. साहब ने मेरे कोई बयान हीं लिये थे।'' इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर व विपरीत कथन किये जाने तथा धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किये जाने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(16) उपरोक्त तथ्य के समस्त साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ मारपीट किये जाने, जान से मारने की धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर गाली गलौज कर अपमानित किये जाने के तथ्य को नकारा गया है। उपरोक्त साक्षीगण की प्रतिपृच्छा मे भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नही आया है जिससे अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का समर्थन मिलता हो। पत्रावली पर कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम का अपराध कारित करने एवं कथित घ ाटना कारित किये जाने के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

(17) जहां तक अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी. डी. 03, इंजरी प्रपत्र व घटनास्थल नक्शानजरी का प्रश्न है। उक्त प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। निसन्देह अभिलेखीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है परंतु अभिलेखीय साक्ष्य उसी स्थिति में महत्वपूर्ण है जबकि उसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा की गयी हो। वर्तमान मामले में अभिलेखीय साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जब तक कि उक्त अभिलखों की पुष्टि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(18) वादी मुकदमा पी.डब्लू.–1 धर्मवीर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने/मिथ्या साक्ष्य गढ़ने तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. में वर्णित कथनों का वादी द्वारा अपने बयानों में समर्थन न करने के सम्बंध में उसके विरूद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किये जाने योग्य है।

(19) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

> आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(20) उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल अपने विरूद्ध लगाये गये धारा 323 सपठित 34 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 89/2017 में अभियुक्तगण छत्रपाल, छविनाथ व मोहन लाल को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें।

वादी मुकदमा धर्मवीर के विरूद्ध धारा–344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने/मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के सम्बंध में प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर उसके विरूद्ध नोटिस जारी किये जाये।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 16.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 16.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।